



# छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2013 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2013 (आषाढ 25, 1935)

समय 11:00 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. फरवरी-मार्च, 2013 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

3. नियम 267- क के अधीन फरवरी-मार्च, 2013 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

### 4. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश (क्रमांक 1 सन् 2013) पटल पर रखेंगे.

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

6. राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक की सूचना

### 7. सभापति तालिका की घोषणा

### 8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

- (1) सर्वश्री देवजी पटेल, नंद कुमार साहू, सदस्य, राजधानी रायपुर से लगे गांवों में शासकीय भूमि की अवैध प्लांटिंग किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, प्रदेश में फिजियोथेरेपी काउंसिल का गठन नहीं किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) नवम्, दशम्, ग्यारहवां, बारहवां एवं तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

## 10. वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

## 11. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री हेमचंद्र यादव, विधि और विधायी कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 16 सन् 2013) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (2) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (3) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (4) श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (5) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (6) श्री रामविचार नेताम, तकनीकी शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रबंधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 21 सन् 2013) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (7) श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 24 सन् 2012) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (8) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 25 सन् 2013) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

## 12. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

10 मिनट (1)

श्री हेमचंद्र यादव, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 16 सन् 2013) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

निर्धारित समय

- 10 मिनट (2) श्री पुन्लाल मोहले, खाद्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) पर विचार किया जाये.  
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.
- 10 मिनट (3) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) पर विचार किया जाये.  
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.
- 10 मिनट (4) श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013) पर विचार किया जाये.  
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.
- 10 मिनट (5) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013) पर विचार किया जाये.  
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.
- 30 मिनट (6) श्री रामविचार नेताम, तकनीकी शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रबंधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 21 सन् 2013) पर विचार किया जाये.  
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.
- 10 मिनट (7) श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 24 सन् 2012) पर विचार किया जाये.  
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.
- 10 मिनट (8) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 25 सन् 2013) पर विचार किया जाये.  
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

रायपुर  
दिनांक 15 जुलाई, 2013

देवेन्द्र वर्मा  
प्रमुख सचिव.